Section 164 : Power of Government to make rules

(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Government may make rules for all or any of the matters which by this Act are required to be, or may be, prescribed or in respect of which provisions are to be or may be made by rules.

(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect to the rules or any of them from a date not earlier than the date on which the provisions of this Act come into force.

(4) Any rules made under sub-section (1) or sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

धारा 164 : सरकार की नियम बनाने की शक्ति

(1) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या किसी विषय में, नियम बना सकेगी, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन उपबंध करना अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा या विहित किया गया है या जिनके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हों या किए जा सकेंगे।

(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उनमें से किन्हीं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए बए नियमों में उनका उल्लंघन करने पर दस हजार रुपए से अनधिक शास्ति के लिए दायी होगा।